सं0–2461/उन्तीस(2)/05–2 (69पे0)/2006 टीसी–।।

प्रेषक

कुँवर सिंह,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून/पिथौरागढ़
उत्तरांचल।

पेयजल अनुभाग–2

देहरादून :दिनांक09 नवम्बर, 2006

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जनजाति उपयोजना (ट्राइबल सब प्लान) योजनान्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ की सिरोगान (दर) पेयजल योजना के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल पेयजल निगम मुख्यालय के पत्रांक 3339/धनावंटन प्रस्ताव/दिनांक 28–08–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री, राज्यपाल महोदय अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों (ट्राइबल सब प्लान) के अंतर्गत चालू वित्तय वर्ष 2006–07 में जनपद पिथौरागढ़ की सिरोगान (दर) पेयजल योजना के कियान्वयन हेतु रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण सम्बन्धित जनपद में, उत्तरांचल पेयजल निगम के नोड़ल अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी, के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल सम्बन्धित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्कतानुसार पूर्व में अवमुक्त धनराशि के पूर्ण उपभोग के उपरान्त ही किया जायेगा। तथा आहरण के सम्बन्ध में बिल वाउचर एवं दिनांक की सूचना आहरण के तुरन्त बाद शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– इस धनराशि के पूर्ण उपयोग एंव उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी किस्त का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा ।

4– कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–87(1)/दस–97–17(4)/275 दिनांक 27.02.97 के अनुसार सैंटेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गयी धनराशि में सैंटेज के रूप में व्यय की गयी धनराशि को

क्रमशः..2

समायोजित करते हुए कुल सैंटेज चार्जेज 12.5 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगा । इसे कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर लिया जाय ।

5-- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्ड बुक नियमों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्वआगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। ऐसी योजनाओं पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है अथवा जो विवादग्रस्त है ।

6-- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.12.07 पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति का विवरण एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

7- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें ।

8- योजनाओं को त्वरित गति से पूर्ण कर मासिक रूप से योजनावार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9- उक्त व्यय चालू वित्तीय .वर्ष 2006-07 के अनुदान सं0-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक"2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-आयोजनागत -796- जनजातीय उप योजना-91-ग्रामीण जलसम्पूर्ति कार्यक्रम (जिलायोजना)-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता " के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0- 956/XXVii(2)/2006 दिनांक 03 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

कमशः..3

संख्या 2461 / उन्तीस(2) / 06–2(69पे0) / 2006,तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल,देहरादून।
2– आयुक्त कुमॉयू।
3– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून ।
4– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून ।
5– कोषाधिकारी, देहरादून / पिथौरागढ़ ।
6– वित्त अनुभाग–2 / वित्त बजट सेल / रा0यो0आयोग / समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।
7–नोडल अधिकारी (अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता) उत्तरांचल पेयजल निगम, सम्बन्धित जनपद ।
8– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी।
9–स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव।
10–निदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तरांचल,देहरादून।
11–निदेशक एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव
21/11/06